

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- महेश चन्द्र मान (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
204/2015	12.10.2015	26.09.2017

उनवान

1 कृष्णा देवी पत्नी दीपचन्द जाति जाट, निवासी जिन्दोली, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर (राज.)
-: वादीया

बनाम

1 सावित्री देवी पत्नी हीरा, जाति जाट
2 मन्जू पत्नी खैरा जाति जाट
3 अनरसिंह पुत्र लक्ष्मण जाति जाट, निवासीयान नांगल बावला, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर (राज.)
-: प्रतिवादीगण


दावा:- हु0ई0 दवामी अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अवि0

वादीया की ओर से श्री सतीश यादव एडवोकेट की व श्री सरजीत सिंह चौधरी प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित रहे। इस वाद में आज तारीख 26.09.2017 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

“वादीया का वाद बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आराजी ख0नं0 1745/21 रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम जिन्दोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी पर जबरन कब्जा नहीं करें, ना वादीया को बेदखल करें, ना ही वादीया के फसल बोने व काटने में मजाहमत पैदा करें, सदैव-सदैव के लिए पाबन्द रहें।”

खर्चा अपना-अपना वहन करें।

आज दिनांक 26.09.2017 को यह पर्चा डिक्री मेंरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(महेश चन्द्र मान) उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर (अलवर) राज०
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर